



2026:AHC:19137

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 41958/2025

कफील अहमद

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण)	के	अधिवक्ता	:	हिमांशु	श्रीवास्तव
विपक्षी(गण)	के अधिवक्ता	:	जी.ए.		

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र कुमार तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 771/2025, धारा 5(ग), 6 पाँक्सो अधिनियम, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलंदशहर में पंजीकृत प्रकरण में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक ने न तो पीड़िता की लज्जा भंग की है और न ही उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीड़िता के कथन एवं एफ.आई.आर. के कथन में महत्वपूर्ण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विरोधाभास है, जिससे अभियोजन की कहानी अविश्वसनीय प्रतीत होती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कथित घटना पुलिस मेस में हुई, जहाँ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहते हैं, फिर भी केवल एक पुलिस कांस्टेबल सत्यवीर सिंह को ही साक्षी बनाया गया है।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और कथित साक्षी ने द्वेषवश बयान दिया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विवेचक द्वारा एकत्र साक्ष्यों से आवेदक के विरुद्ध धारा 5(ग)/6 पॉक्सो अधिनियम का कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक की आयु लगभग 58 वर्ष है और उसने पीड़िता के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल किया गया है, अतः आवेदक की अभिरक्षा में पूछ-ताछ की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सीय रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर न तो बाह्य और न ही आंतरिक चोट का कोई उल्लेख किया गया है। आवेदक दिनांक 11.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले को देखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त-आवेदक **कफील अहमद** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन गवाहों को डराएगा/धमकाएगा नहीं तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय छूट न दे।

यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है, तो अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

28 जनवरी, 2026

पी.के.एस.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।